... की क्रम ... एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–73/2020–21

लीला देवी...आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू..विपक्षी।

आदेश

31.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–लीला देवी, पति–उमेश कुमार, सा०–चिरगालडीह, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–19 R27/2019-2020/बुण्डू में दिनांक–28.05.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
गोसाईंडीह	बुण्डू	13	83	316	10 डीसमील

चौहदीः–उ०–विक्रेता का नीज, द०–विक्रेता का नीज,

पू०–10 फीट क प्रस्तावित रास्ता, प०–विक्रेता का नीज,।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अपीलार्थी ने अज्ञानता में उपरोक्त भूमि का दोबारा नामांतरण हेतु नामांतरण वाद संख्या–19 R27/2019-2020/बुण्डू दायर किया जिसे "संबंधित नामांतरण पूर्व में अस्वीकृत हो चुका है, आवेदक को सक्षम प्राधिकार में आवेदन करना चाहिए" का कारण देकर अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी को पुनः सुनवाई कर अपीलार्थी के नाम से दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, बुण्डू को आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–19 R27/2019-2020/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार संबंधित नामांतरण पूर्व में अस्वीकृत हो चुका है, आवेदक को सक्षम प्राधिकार में आवेदन करना चाहिए अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित। .

Sd/- 31/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Sd/- 31/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।